संविधान संशोधन अधिनियम, 1992
(Constitution Amendment Act, 1992)

पंचायत राज व्यवस्था की कमियों को स्पष्ट करने और इस व्यवस्था में सुधार से सम्बन्धित सुझाव देने के लिए सरकार ने सन् 1985 में जी. वी. के. राव की अध्यक्षता में एक नयी समिति का नियुक्त किया जिसे 'राव समिति' कहा जाता है। इस समिति ने अनेक दूसरी सिफारिशों के साथ पहली बार यह सुझाव दिया कि पंचायत राज व्यवस्था के सभी स्तरों पर अनुसूचित जातियों जनजातियों और महिलाओं को विभिन्न पदों पर आरक्षण देना जरूरी है। इन सिफारिशों को व्यावहारिक रूप देने के लिए केन्द्र सरकार ने सन् 1992 में संविधान में 73 वाँ संशोधन करके एक नया कानून पास किया जिसे संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति से इसे 20 अप्रैल, 1993 को स्वीकृति मिल जाने के बाद सरकार द्वारा इसे 1 जून, 1993 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। इस अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्नांकित हैं—

(1) इसके द्वारा पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करने के लिए पहले से अधिक शक्तियाँ और दायित्व सौंपे गये।

(2) ग्राम पंचायत, क्षेत्रिय पंचायत के लिए सम्बन्धित क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर कुल सदस्यों की

Created By Sign Doc

संख्या निर्धारित की गई।

(3) पंचायती राज व्यवस्था के सभी स्तरों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था की गई। साथ ही सभी पदों पर महिलाओं का एक तिहाई आरक्षण दिया गया।

(4) प्रत्येक ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के लिए यह आवश्यक कर दिया गया कि कुछ स्थायी समितियों का गठन करके उनके द्वारा विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाये।

(5) यदि कुछ विशेष दशाओं में सरकार द्वारा किसी ग्राम पंचायत को भंग किया जाता है, तो छः माह के अन्दर फिर से चुनाव करवाकर ग्राम पंचायत की स्थापना करना आवश्यक है।

(6) यह सुनिश्चित कर दिया गया कि किसी भी दशा में एक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद का कार्यकाल पाँच वर्ष से अधिक नहीं हो सकता।

(7) पहले की तुलना में पंचायत राज संस्थाओं के कार्यों में वृद्धि की गई। इसके लिए पंचायत राज संस्थाओं को केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान को भी बढ़ा दिया गया।

इस नये अधिनियम के अनुसार अब भारत के सभी राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया जा चुका है। उनकी कार्यप्रणाली

Created By Sign Doc

और संगठन में भी समानता देखी जा सकती है। जिन राज्यों में जनजातियों की जनसंख्या अधिक है, उनके लिए सरकार द्वारा सन् 1996 में एक अलग कानून बनाया गया जिसे 'पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम' कहा जाता है। यह अधिनियम भारत में 24 दिसम्बर, 1996 से लागू हुआ। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान जैसे नौ राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में पंचायतों का गठन करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा कानून बनाए जाएँ। इसका उद्देश्य जनजातीय समाज को अपने बारे में स्वयं निर्णय लेने और प्राकृतिक संसाधनों पर अपने परम्परागत अधिकारों को बनाये रखने की सुविधा देना है।

Created By Sign Doc